

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1314 / 2022

दिनांक : 16.04.2022

श्री मदन गोपाल आर्य (RJ0336), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ को दिनांक 28.03.2022 से 01.04.2022 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 26.03.2022 से 27.03.2022 एवं 02.04.2022 से 03.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, हनुमानगढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से  
16.04.2022  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/40/2000/ 2882

दिनांक : 16.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 20 दिनांक 04.04.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मदन गोपाल आर्य (RJ0336), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, हनुमानगढ़ ।

16.4.2022  
सहायक रजिस्ट्रार